

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	माघ 11, रविवार, शाके 1942-जनवरी 31, 2021 Magha 11, Sunday, Saka 1942-January 31, 2021	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**जन अभियोग निराकरण विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जनवरी 30, 2021**

**जी.एस.आर.242** :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं0 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 5 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 31 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 31ए तथा 31बी एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

	31ए.	पालनहार योजना	90 दिवस	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	-	जिले में पदस्थापित उप निदेशक / सहायक निदेशक	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
	31बी.	लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना	90 दिवस	अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	उप निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर

"

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 07 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 48 बी एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 48सी एवं उसकी

26 -	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	155.	षहरी क्षेत्र में,- 1.रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			2.जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के पश्चात विलम्ब शुल्क जमा कराने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			3. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण अन्तर्गत अनुज्ञा प्रक्रिया जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिवस के पश्चात परन्तु 1 वर्ष के भीतर घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा/आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम	पदस्थापित अधिकारी	महापौर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर
			4.जन्म या मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष पश्चात घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा/आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार	नायब तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर

			5.जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में रजिस्ट्री को ठीक या रदद् करना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष	
			6.जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष	
			7.विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष	
		156-	ग्रामीण क्षेत्र में,- 1.जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

		2.जन्म प्रमाण पत्र मे नाम जोडना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
		3.जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के पश्चात परन्तु 30 दिवस के भीतर विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
		4.जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिवस के पश्चात परन्तु 1 वर्ष के भीतर अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी की अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
		5.जन्म या मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष पश्चात कार्यपालक मस्जिदट्रेट की अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

			6.जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में रजिस्ट्री को ठीक या रद्द करना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			7.विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
		157-	राजकीय चिकित्सालय,- रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्मिक	ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
		158-	जन-आधार पंजीयन कर आई.डी. व जन-आधार ई-कार्ड जारी करना।	45 दिवस	विकास अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी	तहसीलदार	अति. जिला जन आधार योजना अधिकारी (उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	जिला कलक्टर (जिला जन आधार योजना अधिकारी)	
		159-	बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी कर बी.आर.एन.कार्ड प्रदान करना।	07 दिवस	ब्लाक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	सांख्यिकी निरीक्षक (पदाभिहित बी.आर.एन)	उप/सहायक निदेशक (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव एवं राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार	

"

27	पर्यटन विभाग	160	1. राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रदान करना	15 दिवस	निदेशक/आयुक्त पर्यटन	संयुक्त निदेशक (निवेश)	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	-	-
			2. ट्रेवल एजेंसी/एक्सर्सन एजेंसी/सफारी आपरेटर का पंजीकरण	15 कार्य दिवस (संबंधित जिला पर्यटन कार्यालय से आवेदन पूर्णता की सूचना तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त)	निदेशक / आयुक्त पर्यटन	संयुक्त निदेशक (ट्रेड )	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	-	-

"

[No. F16(1)RPG/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

अश्विनी भगत,  
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।